कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय छुरिया जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक/812/स्था./सीधी भर्ती/2016 दिनांक 05/03/2016

–:: सीधी भर्ती सूचना विज्ञापन ::–

महाविद्यालय के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं।

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित					अ.जा.					अ.ज.जा.					अ.पि.व.				
		कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
प्रयोगशाला परिचारक	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0

1. शैक्षणिक अर्हता, योग्यता, आयु सीमा तथा आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार लागू होगा।
2. विस्तृत जानकारी आवश्यक नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप महाविद्यालय की सूचना पटल एवं महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।। उक्त जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.rsmdcollege.com एवं अग्रणी महाविद्यालय के वेबसाइट www.digvijaycollege.com में भी उपलब्ध है।
3. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति के साथ केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजें तथा यह निर्धारित अंतिम तिथि 26.03.2016 को सायं 05:30 बजे से पूर्व प्राचार्य कार्यालय में पहुंच जाए।

   टीप:– डाक की गडबड़ी के लिए महाविद्यालय जवाबदार नहीं होगा निजी कुरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
4. नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसकी सूचना पात्र आवेदकों को पृथक से प्रेषित की जायेगी।
5. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।
6. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
7. लिखित परीक्षा दिनांक 05.04.2016 दिन मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे होगी।

प्राचार्य

शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया
जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)
//विज्ञापन //

क्रमांक 812 छुरिया, दिनांक – 05/03/2016

छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग, मंत्रालय , रायपुर के परिपत्र क्रमांक 1734/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 24 नवम्बर 2011 के परिपालन में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रकिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राचार्य शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 26/03/2016 को सांय – 05:30 बजे तक आंमत्रित किये जाते है।

1. पदनाम तथा वेतनमान :–

(क) प्रयोगशाला परिचारक – 5200–20200 + ग्रेड वेतन 1800

नोट :– वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय – समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।

2. रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित					अ.जा.					अ.ज.जा.					अ.पि.व.				
		कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै	कुल पद	मु.	म.	वि.	भूपूसै
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
प्रयोगशाला परिचारक	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0

नोट :– 1. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
2. रिक्त पदों में विवरण अनुसार आरक्षण का नियमानुसार पालन किया गया है।
3. मु. = मुक्त, म. = महिला वि. = निःशक्त जन भूपूसै = भूतपूर्व सैनिक

3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :–

(क) प्रयोगशाला परिचारक – 10 वीं परीक्षा सबंधी विषय से उत्तीर्ण (विज्ञान, गृह विज्ञान एवं भूगोल)

नोट :– उक्त पदों के लिए चयन की प्रकिया समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर की जावेगी।

4. आयु सीमा –

(क) दिनांक – 01.01.2016 को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष से अधिक न हो ।

(ख) छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला तथा अन्य अभ्यर्थीयों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट रहेगी ।

(ए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट ।

(बी) महिला – शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हेतु अधीकतम आयु में 10 वर्ष की छूट।

(सी) परिवार कलयाण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारकों के मामले में अधिकतम आयु में दो वर्ष की छूट।

(डी) परिवार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण पाटनरों के लिये अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट ।

(ई) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार अथवा गुण्डाधर सम्मान अथवा महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान अथवा राष्ट्रीय युवा व्यक्तियों पुरस्कार अथवा छ.ग. शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाडी घोषित व्यक्तियो को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट ।

(एफ) निःशक्त जन उममीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, यह छूट छ.ग. के जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधिन स्थापित निःशक्त जन के उद्यमी, पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन जबलपुर, म.प्र. के अधीक्षक अथवा छ.ग. के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित निःशक्त जन प्रत्याशी को ही दी जावेगी ।

(जी) विशेष वर्गो के लिये अधिकतम आयु सीमा के लिये देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी । किंतु ऐसी छूट को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

(ग) ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुके हो, अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जायेगी :–

(1) उपर्युक्त आयु – सीमा की छूट ऐसे उममीदवार के लिये भी स्वीकार्य होगी, जो आकस्मिकता निधि में वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या कार्यभारित कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया हो ।
संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2) ऐसे उम्मीदवार को जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से इसके द्वारा पहले की गई संम्पूर्ण अस्थायी सेवा को अधिक से अधिक सात वर्ष तक की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार में की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–शब्द "छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो शासन की अथवा किसी संगठक ईकाई के अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारिख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व कर्मचारीयों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(5) ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने तथा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता ईकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा

कर्मचारियों की संख्या में सामान्य से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :–

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व निवशक्ति रियायतों (आस्टरिग आउट केसेशन) के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे दुबारा भर्ती किया गया हो (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने, (ख) भर्ती की शर्ते पूर्ण कर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो ।
(3) मद्रास सिविल ईकाई (युनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,
(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हे उनकी संविदा पुरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल है)
(5) ऐसे अधिकारी जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करनें के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
(6) ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हो ।
(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेगें एवं
(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

नोट :– उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

5. छ.ग. के मूल निवासी तथा स्थानीय निवासी : –
   (1) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होगें ।
   (2) इस विषयक सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

6. अन्य शर्ते :–
   1. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा ।
   2. चयनित उममीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   3. चयनित उममीदवारों को पुलिस व्हेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकितसालय के चिकित्सा बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण – पत्र का सत्यापन छ.ग. राज्य के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से, किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।
   4. छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू रहेगें ।

   (क) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा ।

   (ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा ।

   5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी समय भी सेवा समाप्त की जा सकती है ।

7. नियुक्ति चयन विधि :–

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाना।

1. लिखित परीक्षा — 100 अंक

(ख) उपर्युक्त लिखित परीक्षा (जहां लागू हो) के प्राप्तांक के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची तथा अलग से संयुक्त प्रावीण्य सूचियां तैयार की जावेगी तथा प्रतीक्षा सूचियां भी तैयार की जायेगी, परन्तु ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान नहो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

(ग) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry Forword) नहीं किए जाएगें, वरन् उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।

(घ) निःशक्त जन और भूतपूर्व सैनिक के पद क विरूद्व सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।

8. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयुसीमा में छूट एवं यात्रा व्यय सबंधी लाभ नहीं मिलेगा।

9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथिः — 26.03.2016 (सायं 5:30 बजे तक)

10. परीक्षा की तिथि :— दिनांक 05.04.2016

11. परीक्षा का समय :— प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक

12. परीक्षा केन्द्र :— लिखित परीक्षा का केन्द्र शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया में रहेगा अधिक उम्मीदवार होने की स्थिाति में अन्य परीक्षा केन्द्र का चयन किया जावेगा।

13. आवेदन पत्र :— आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वे नियुक्ति संबंधीसमस्त अर्हतायें पूर्ण करते है या नही? (यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन सूची से नाम/नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।)

14. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी ।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।

इच्छुक उम्मीदवारों को दिये गये प्रारूप में आवेदन पत्र प्राचार्य, शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया जिला राजनांदगांव को केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 26.03.2016 (सायं 5:30 बजे तक) प्रेषित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक चाहे तो फुलस्केप सफेद कागज पर निर्धारित प्रपत्र केवल एक तरफ डबल स्पेस में स्वच्छ टंकित कर उसका उपयोग कर सकते हैं, परन्तु हस्तलिखित आवेदन पत्र (वांछित प्रविष्टियों को छोड़कर) मान्य नहीं होगा।

प्राचार्य
शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया जिला—राजनांदगांव (छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदन पत्र केवल निम्नलिखित प्रारूप में ही होना चाहिए)

.... पद हेतु आवेदन पत्र

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रामाणित फोटो चिपकायें	
महिला	पुरूष

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, ..., जिला–...............
पिन.को. नं.......................... (छ.ग.)।

1 आवेदक / आवेदिका का नाम

2 पिता / पति का नाम

3 माता का नाम

4 जन्म तिथि (01.01.2016 को आयु) वर्ष माह दिन

5 स्थायी पता :– ....

....

तहसील..................... जिला...........................

पिन कोड ....

दूरभाष / मोबाइल नम्बर.................................

6 पत्राचार का पता ....

....

तहसील..................... जिला...........................

पिन कोड ....

7 श्रेणी (सामान्य,अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग)

अनारक्षित	अपिव	अ.जा	अ.जा.जा.

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

जाति का नाम .... उपजाति ....

8. शैक्षणिक योग्यता :–

क.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक / प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.						
2.						
3.						
4.						

9 तकनीकी अर्हताएं ....

10. रोजगार कार्यालय का नाम ....

जीवित पंजीयन क्र. एवं दिनांक ....

11. लिंग :– महिला या पुरूष जो लागू हो लिखें ....

नीचे 12 से 20 तक के लिए बाक्स में हॉं या नहीं, जो लागू हो लिखकर जानकारी दें तथा जहॉं–जहॉं उत्तर हॉं में हो, उसके पक्ष में प्रमाण–पत्र की सत्यापित फोटो कापी संलग्न करें :–

12. क्या आप संबंधित जिले के स्थानीय निवासी हैं ? ☐

13. क्या आप छ.ग. शासन के स्थायी/अस्थायी सेवक है? ☐

14. क्या आप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी है? ☐

15. क्या आप कार्यभारित कर्मचारी है? ☐

16. क्या आपको शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया है? ☐

17. क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अंतर्गत छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में आते है? ☐

18. क्या आप इस विज्ञापन में परिभाषित नियमों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आते है? ☐

19. क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते है? ☐

20. क्या आप निःशक्तजन है? ☐

// घोषणा पत्र //

मैं .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उक्त आवेदन पत्र का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही अपने को पात्र उम्मीदवार मानते हुए भरा हैं एवं मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी पूर्ण सही है। यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मेरी चयन परीक्षा/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं से सम्बद्ध पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता/करती हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसका विवरण इस आवेदन पत्र में भरा गया है तथा नीचे किया गया हस्ताक्षर मेरा ही है। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित नही किया गया है।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर......

आवेदक का नाम ....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यपित दस्तावेजों का विवरण :–

संलग्नों की सूची :–

1...2...

3...4...

5...6...

7...8...

आवेदक का हस्ताक्षर

....

नाम ....

नोट :–

(1) कोई भी कालम रिक्त न छोड़े, जहॉं जानकारी निरंक हो वहॉं निरंक लिखा जावे।

(2) प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन स्वीकार्य किया जावेगा ।

(3) किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(4) विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य, ..., जिला–.................................... को दिनांक .... समय शाम 5:30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक – [ ]

प्रमाणित फोटो

आवेदित पद का नाम – .... [ ]

1. अभ्यर्थी का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. परीक्षा केन्द्र का नाम ....

आवेदक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पता :–	परीक्षा का दिन, दिनांक एवं समय
.... तहसील .... जिला .... पिन कोड – .... दूरभाष / मोबाइल नम्बर..............................	

नोट :– अनुक्रमांक परीक्षा हेतु परीक्षा का केन्द्र, परीक्षा का दिन, दिनांक एवं समय को छोड़कर शेष सभी प्रविष्टयाँ अभ्यर्थी द्वारा भरी जावे।

प्राचार्य
के हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित